"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016— भाद्रपद 11, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016

क्रमांक 66/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016. —— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की धारा 36) की धारा 61, 86 और धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस हेतु आयोग को समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

अध्याय–1
सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्रयोज्यता की सीमा तथा परिभाषाएं –**

1.1 ये विनियम "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016" कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार और प्रयोज्यता छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर और उनके संबंधित प्रदाय क्षेत्रों में होगा।

2. **परिभाषाएं –**

2.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आशयित न हो –

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक–36, सन् 2003);

(ख) **"आधारभूत डाटा"** से अभिप्रेत है, कार्यक्रम प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व तुलना के लिए संदर्भ बिन्दु उपलब्ध कराने हेतु विद्युत की प्रारंभिक आधार स्तरीय खपत और/अथवा मांग;

(ग) **"ब्यूरो"** से अभिप्रेत है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा–2 की उपधारा (1) के अधीन गठित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो;

(घ) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(ड.) **"लागत प्रभावशीलता सूचकांक"** का वही अर्थ होगा जैसा इन विनियमों के विनियम 19.3 में परिभाषित किया गया है;

(च) **"मांग पक्ष प्रबंधन" अथवा "डी.एस.एम."** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के, उपभोक्ता मीटर से आगे के ऐसे कार्य जो विद्युत की अंततः उपयोग दक्षता में सुधार के उद्देश्य से – चाहे वह मांग वृद्धि करने, इसे कम करने, शीर्ष बिन्दुओं पर उच्च और निम्न के बीच चक्रामित करने, अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की लागतों को कम करने के सकल हित में, जब भार मांगों में रूक–रूक कर (आंतरावधिक) परिवर्तन होता है, प्रबंधित करने के उद्देश्य से किये जाते हैं;

(छ) **"मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ"** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों को विकसित और रूपांकित करने और उन्हें इन विनियमों के विनियम–7 के अधीन आयोग को प्रस्तुत करने में सहायता देने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित प्रकोष्ठ;

(ज) **"मांग पक्ष प्रबंधन उपाय"** से अभिप्रेत है, उपभोक्ता के निवास अथवा सुविधा में स्थापित व्यक्तिक ऊर्जा दक्षता और/अथवा ऊर्जा संरक्षण;

(झ) **"मांग पक्ष प्रबंधन संसाधन अभिग्रहण"** से अभिप्रेत है, मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने की प्रणाली जिसमें उपभोक्ताओं, ऊर्जा सेवा कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं, अथवा निजी क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के विनियम–14 (5) के अधीन ऐसे कार्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए संसाधन ए.आर.आर. अथवा अन्य स्रोतों से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः परिणामी ऊर्जा और भार कमी से उद्भूत वास्तविक/अनुमानित बचतों में से किया जाता है;

(ञ) **"ऊर्जा सेवाएं कंपनी" अथवा "इस्को"** से अभिप्रेत है, ब्यूरो द्वारा अनुमोदित और अन्ततः उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्ष और भार प्रबंधन उपकरण, प्रक्रियाएं और/अथवा सेवाएं उपलब्ध कराने के व्यापार में रत (लगी हुई) कोई कम्पनी;

(ट) **"सकल बचत"** से अभिप्रेत है, मांग पक्ष प्रबंधन परियोजना में उपभोक्ता भागीदारी के परिणामस्वरूप ऊर्जा खपत अथवा मांग में प्रतिफलित कोई परिवर्तन;

(ठ) **"मूल्यांकन, परिमापन और सत्यापन"** से अभिप्रेत है, ऐसी गतिविधियां जो मांग पक्ष प्रबंधन/ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों अथवा उनके बाजार परिवेश के अन्य पहलुओं के मूल्यांकन, परिमापन और सत्यापन हेतु की जाए;

(ड) **"निगरानी और प्रतिवेदन"** से अभिप्रेत है, ऐसी गतिविधियां जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मांग पक्ष प्रबंधन/ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन हेतु की जाए।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी अभिव्यक्तियां और जिन्हें विशिष्टतया परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय–2
मांग पक्ष प्रबंधन के उद्देश्य, प्रभावी मूल्यांकन, लक्ष्य और दिशा–निर्देश

3. मांग पक्ष प्रबंधन के उद्देश्य –

3.1 राज्य में मांग पक्ष प्रबंधन प्रयासों को मितव्ययतापूर्वक लागू करने और आगे ले जाने हेतु मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को निम्नलिखित के माध्यम से, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं, अपनाया जाना है :–

(क) विद्युत के अन्ततः उपयोग में दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और लागत में कमी लाने के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के दैनंदिन संचालन में मांग पक्ष प्रबंधन को एक अविच्छिन्न भाग बनाना।

(ख) भार परिवर्तन, ऊर्जा कमी दूर करना, मौसमी शीर्ष मार्ग में कमी लाना, मितव्ययी ऊर्जा बचत, विद्युत लागत में कमी, ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी और उपयोग के समय/मौसम आदि जैसी लागत पहलों को प्रोत्साहन देना और लागू करना।

(ग) उत्पादन, पारेषण और वितरण अधोसंरचना को टालने, कम करने अथवा स्थगित करने की दृष्टि से आपूर्ति संबंधी रणनीतियों को जोड़ना।

(घ) उच्च A.T.&C. क्षतियां प्रतिवेदित करने वाले क्षेत्रों में अन्ततः उपयोग ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से पारेषण और वितरण की हानियों को कम करना।

3.2 मांग पक्ष प्रबंधन उद्देश्यों की रचना करते समय आयोग द्वारा यदि कोई हों तो B.E.E. जलवायु परिवर्तन राज्य कार्य योजना द्वारा विरचित राष्ट्रीय मांग पक्ष प्रबंधन उद्देश्यों/योजनाओं को विचार में लिया जाएगा।

3.3 जहां तक व्यवहार्य हो, मांग पक्ष प्रबंधन उद्देश्य देश में ऊर्जा संरक्षण योजना के एक भाग के रूप में ब्यूरो द्वारा तय किये गए मांग पक्ष प्रबंधन उद्देश्यों से संगत होंगे।

3.4 आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अधीन अनुमोदित मांग पक्ष प्रबंधन लक्ष्य, कार्यक्रम/योजनाएं, समय–समय पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत विरचित राज्य सरकार की नीतियों से संगत हों।

4. मांग पक्ष प्रबंधन के लिए तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन –

4.1 छत्तीसगढ़ राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों को अधिसूचित करने के 12 माह के भीतर राज्य में मांग पक्ष प्रबंधन हेतु क्षमता का मूल्यांकन कराया जाएगा।

4.2 मांग पक्ष प्रबंधन हेतु तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन कराते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ब्यूरो द्वारा विकसित पद्धति से निर्देशित होगा।

5. मांग पक्ष प्रबंधन के लक्ष्य –

5.1 छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु आयोग मांग पक्ष प्रबंधन लक्ष्य विहित कर सकेगा, जिसमें विभिन्न मौसमों में शीर्ष भार में कमी का प्रतिशत, कुल भार में कमी और प्रत्येक बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि के लिए ऊर्जा घटक में सुधार सम्मिलित हैं।

5.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु मांग पक्ष प्रबंधन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों)/राज्य सरकार/ब्यूरो अथवा इसके द्वारा राज्य में अधिकृत एजेन्सी द्वारा यथा मूल्यांकित तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखेगा।

5.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों) हेतु मांग पक्ष प्रबंधन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय आयोग, उपभोक्ता मिश्र, भार वृत्त (प्रोफाइल), भार घटक/मांग घटक आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखेगा।

6. मांग पक्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं पर दिशा–निर्देश –

6.1 निम्नलिखित गतिविधियों के निष्पादन में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को समय–समय पर आयोग दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा :–

(i) भार और बाजार अनुसंधान;

(ii) मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;

(iii) मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों की लागत प्रभावशीलता का मूल्यांकन;

(iv) मांग पक्ष प्रबंधन योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और प्रतिवेदन;

(v) मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदण्ड;

(vi) मांग पक्ष प्रबंधन लक्ष्यों और वित्तपोषण स्तरों के लिए कार्यपद्धति;

(vii) डाटा बेस (आधारभूत आंकड़े) विकास संरचना।

6.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांग पक्ष प्रबंधन योजना की तैयारी और प्रस्तुति हेतु इस प्रकार के दिशा–निर्देशों का जारी किया जाना कोई पूर्व वांछा नहीं होगी।

अध्याय–3
मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ

7. **मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन, इसकी भूमिकाएं और दायित्व –**

7.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन करेगा और इन विनियमों के अधिसूचित होने की दिनांक से दो माह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इन विनियमों के अंतर्गत मांग पक्ष प्रबंधन अभियान में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहायता हेतु यह मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ सम्पर्क अभिकरण होगा और आयोग से संवाद हेतु उत्तरदायी रहेगा।

7.2 मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ में निम्नलिखित कर्मचारी होंगे –

(क) अधीक्षण यंत्री के स्तर से अन्यून एक अधिकारी

(ख) कार्यपालन यंत्री के स्तर से अन्यून दो अधिकारी

(ग) सहायक यंत्री के स्तर से अन्यून तीन अधिकारी

(घ) कनिष्ठ यंत्री के स्तर से अन्यून पाँच अधिकारी

(ङ.) पांच लिपिकवर्गीय कर्मचारी

7.3 मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रबंध संचालक/प्रमुख को रिपोर्ट करेगा।

7.4 इस प्रकार गठित मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा आवश्यक प्राधिकार उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वह इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्यो को पूरा कर सके।

7.5 मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ में पदांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई अन्य दायित्व नहीं सौंपे जाएंगे जिससे वे मांग पक्ष प्रबंधन पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर सकें। इनका कार्यकाल न्यूनतम तीन वर्ष का रहेगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पहले किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु आयोग का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

7.6 मांग पक्ष प्रबंधन प्रकोष्ठ निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी रहेगा –

(क) भार अनुसंधान, बाजार अनुसंधान और आधारभूत डाटा विकास, अन्ततः उपयोग की तकनीकों पर जानकारी प्राप्त करना, उपयोगिता प्रतिमान, लागत के उपभोक्ता भाग को वहन करने की इच्छा, लाभ प्रत्युत्तर से वृद्धिगत लागतों संबंधी संवेदनशीलता–विश्लेषण;

(ख) मांग पक्ष प्रबंधन योजना तैयार करना;

(ग) लागत लाभ विश्लेषण, कियान्वय योजना, मापन और सत्यापन के लिए निगरानी और प्रतिवेदन सहित मांग पक्ष प्रबंधन परियोजनाओं का रूपांकन और विकास;

(घ) नवीन मांग पक्ष तकनीकों, नवाचारों और बाजार में लाए जा रहे नवीन ऊर्जा बचत उत्पादों और नियमित अंतराल पर उन्हें अद्यतन करने संबंधी डाटा बेस तथा केन्द्रीय सूचना प्रणालियों का विकास;

(ङ.) मांग पक्ष प्रबंधन योजना और एकल कार्यक्रमों पर आयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना;

(च) मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के कियान्वयन की निगरानी और उन्हें सुगम बनाना;

(छ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अंतर्गत सम्पूर्ण मांग पक्ष प्रबंधन कियान्वय के संबंध में प्रशिक्षण और क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमों का विकास और अनुभवों की भागीदारी;

(ज) कोई अन्य अतिरिक्त कार्य जिन्हें समय–समय पर आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए।

अध्याय–4
मांग पक्ष प्रबंधन प्रकिया

8. भार और बाजार अनुसंधान, आधारभूत डाटा का रूपांकन और विकास –

8.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी लक्षित उपभोक्ता वर्ग (वर्गों) और मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम हेतु अन्ततः उपयोगकर्ताओं को चिन्हांकित करने हेतु भार अध्ययन कराएगा जिससे आवश्यक आधारभूत डाटा तैयार किया जा सके।

8.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी विशिष्ट ऊर्जा दक्ष तकनीकों और प्रयोज्य हेतु बाजार क्षमता के आकलन हेतु बाजार अनुसंधान कराएगा, प्रमुख निष्पादन सूचक स्थापित करेगा, और वर्तमान आधारभूत बाजार दशाओं को निर्धारित करेगा।

8.3 भार और बाजार अध्ययन के परिणामों के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रदाय क्षेत्र हेतु आधारभूत डाटा विकसित करेगा।

8.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपलब्ध डाटा और BEE द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर अपने प्रदाय क्षेत्र हेतु सम्पूर्ण आधारभूत डाटा उपलब्ध होने तक कुछ प्रारंभिक मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम रूपांकित, विकसित और लागू करेगा। आधारभूत डाटा स्थापित होना, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे प्रारंभिक मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम के रूपांकन हेतु कोई पूर्व शर्त नहीं होगी।

अध्याय–5
मांग पक्ष प्रबंधन योजना और कार्यक्रम

9. मांग पक्ष प्रबंधन योजना की रचना –

9.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अधिसूचित होने के एक वर्ष के भीतर बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि के दौरान संभावित मांग पक्ष प्रबंधन योजना को तैयार करेगा और उसे आयोग को प्रस्तुत करेगा।

इस योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(i) मांग पक्ष प्रबंधन योजना हेतु सम्पूर्ण लक्ष्य;

(ii) मांग पक्ष प्रबंधन योजना का अंग बनाने हेतु मांग पक्ष प्रबंधन योजना काय्रक्रमों का विवरण;

(iii) योजना में सम्मिलित प्रत्येक कार्यक्रम की समग्र कियान्वयन प्रकिया और अनुसूची;

(iv) निगरानी और प्रतिवेदन की योजना;

(v) कार्यक्रमों की सूचक लागत प्रभावशीलता का आकलन।

उपर्युक्त के होते हुए भी पहले मांग पक्ष प्रबंधन योजना इन विनियमों के दिनांक से एक वर्ष के भीतर तैयार की जाएगी और वह प्रचलित बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि के अंत तक की अवधि हेतु होगी।

9.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो द्वारा विकसित अपनी संभावित योजना में, जब और जहां ऐसे कार्यक्रम ब्यूरो द्वारा उद्घोषित किए जाते हैं, समस्त सुसंगत मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकमों (बहुराज्यीय कार्यकमों को सम्मिलित करते हुए) का उल्लेख करेगा।

9.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आने वाले वर्ष के लिए वार्षिक टैरिफ याचिकाओं के साथ प्रवाही आधार पर एक वार्षिक योजना प्रस्तुत करेगा, जो संभावित योजना से असंगत नहीं होगी।

9.4 मांग पक्ष प्रबंधन योजना में विभिन्न मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकमों का चयन और पूर्वता निर्धारण निम्नलिखित कारकों से निर्देशित होगा :–

(i) आयोग से चर्चा उपरांत लागत प्रभावशीलता;

(ii) उपर्युक्त विनियम 3.1 में चिन्हित मांग पक्ष प्रबंधन उद्देश्य;

(iii) क्या प्रस्तावित कार्यक्रम ब्यूरो द्वारा अंगीकृत राष्ट्र स्तरीय प्रयासों के पूरक है;

(iv) कार्यकमों की उच्च दर्शिता और तदनुसार उपभोक्ताओं के भीतर जागरूकता पैदा करने की क्षमता।

9.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी मांग पक्ष प्रबंधन योजना और मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकमों के रूपांकन, विकास और निष्पादन के लिए परामर्शदाताओं को लगा सकेगा। ऐसे परामर्शदाताओं की सेवाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परामर्शदात्री फर्मो से ली जा सकेंगी, जो ऊर्जा दक्षता सेवाएं उपलब्ध कराती है।

10. आयोग द्वारा मांग पक्ष प्रबंधन योजना का पुनरीक्षण और अनुमोदन –

10.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रथम बार के लिए उपलब्ध छः माह की तकनीकी क्षमता के भीतर और उसके उपरांत बहुवर्षीय टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने के साथ, आयोग को अनुमोदन हेतु मांग पक्ष प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा।

10.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी मांग पक्ष प्रबंधन योजना हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, दोनों में प्रस्तुत करेगा।

10.3 आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत मांग पक्ष प्रबंधन योजना की समीक्षा करेगा। किन्हीं विनिर्दिष्ट अभ्युक्तियों और सुझाए गए पुनरीक्षण को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित किया जाएगा। समस्त टिप्पणियों को देखते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी विहित समय–सीमा में आयोग के समक्ष पुनरीक्षित मांग पक्ष प्रबंधन योजना को पुनः प्रस्तुत करेगा। आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत मांग पक्ष प्रबंधन योजना का मूल्यांकन करेगा और ऐसे रूपांतरणों, जो आवश्यक समझे जाएं सहित, उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भेजेगा।

10.4 आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है और स्पष्टीकरण /वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करायी गई अतिरिक्त जानकारी पर विचारोपरांत मांग पक्ष प्रबंधन योजना को अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

10.5 मांग पक्ष प्रबंधन योजना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयोग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004, समय–समय पर यथा संशोधित में विनिर्दिष्ट प्रकियाओं को अंगीकृत कर सकता है।

11. मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकम अभिलेख की तैयारी –

11.1 मांग पक्ष प्रबंधन योजना में सम्मिलित प्रत्येक मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकम हेतु विस्तृत विवरण एक पृथक कार्यकम अभिलेख में उपलब्ध कराया जाएगा। इस विवरण में उद्देश्य और औचित्य, तकनीक अपनाये जाने हेतु अनुसूची, आय–व्ययक, लागत प्रभावशीलता मूल्यांकन, उपभोक्ताओं के वर्ग को सम्मिलित करते हुए विस्तृत कियान्वय योजना और भागीदारी का अनुमानित स्तर के साथ–साथ कियान्वय प्रणाली अर्थात् ऊर्जा सेवा कम्पनियां, मांग पक्ष प्रबंधन बोली, मांग पक्ष प्रबंधन संसाधन अवाप्ति, आधारभूत और बचतों का पूर्वानुमान, लागत की वसूली हेतु प्रणाली और निष्पादन प्रोत्साहन, निगरानी और मूल्यांकन योजना सहित सामान्य जानकारी सम्मिलित होगी।

11.2 प्रत्येक मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकम हेतु समय–समय पर लागत प्रभावशीलता के लिए आयोग द्वारा जारी किये गए दिर्शा–निर्देशों के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण कराया जाएगा।

12. मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकम अभिलेख का अनुमोदन –

12.1 किसी मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकम के कियान्वय से पूर्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

12.2 प्रत्येक कार्यकम अभिलेख में निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा :–

(i) कार्यकम का विवरण;

(ii) कार्यकम के उद्देश्य और औचित्य;

(iii) उपभोक्ता खंड और भागीदारी का अनुमानित स्तर;

(iv) आधारभूत का आकलन;

(v) आयोग द्वारा जारी लागत प्रभावशीलता दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्यकम का मूल्यांकन;

(vi) लागत की वसूली और निष्पादन प्रोत्साहनों के लिए प्रणाली;

(vii) विपणन, प्रदाय रणनीति और कियान्वयन अनुसूची;

(viii) कियान्वयन की प्रणाली, उदाहणार्थ – ऊर्जा सेवा कम्पनियां, मांग पक्ष प्रबंधन बिडिंग, मांग पक्ष प्रबंधन संसाधन अवाप्ति आदि;

(ix) निगरानी और मूल्यांकन योजना;

(x) उपभोक्ता चेतना के प्रसार हेतु प्रशिक्षण / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं हेतु योजना।

12.3 आयोग द्वारा मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकम का अनुमोदन कर दिया जाएगा, यदि वह इन विनियमों के विनियम 3 के अंतर्गत तय किए गए उद्देश्यों के अनुरूप हों। आयोग मांग पक्ष प्रबंधन उद्देश्यों के साथ सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित अथवा प्रचलित कार्यकम में संपरिवर्तन करने हेतु निर्देशित कर सकेगा। तथापि आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्यकम संपरिवर्तन उपभोक्ताओं को संसूचित करने हेतु पर्याप्त समय देगा।

13. मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकम का कियान्वयन –

13.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकम का कियान्वयन आयोग द्वारा समय– समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप करेगा।

13.2 ऐसे कार्यकम का कियान्वयन आयोग द्वारा अनुमोदित रीति से किया जाएगा।

13.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी त्वरित लाभ वाले मांग पक्ष प्रबंधन कार्यकमों को भी कियान्वित करेगा।

13.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सौंपी गई इन गतिविधियों का कियान्वय न तो स्वयं करेगा और न ही समुचित स्वतंत्र एकक के माध्यम से। ऐसा करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सातत्य और निरंतरता बनी रहे और उपभोक्ता के हितो से कोई समझौता न हो।

14. लागत वसूली/वित्तपोषण हेतु प्रणाली

14.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी योजना, रूपांकन और कार्यक्रमों के कियान्वयन से जुड़ी संवृद्धि लागतों, यदि कोई हों को चिन्हांकित करेगा। ऐसी लागतों में उपभोक्ताओं को दिये जा सकने वाली छूटों/प्रोत्साहनों के साथ–साथ ऐसे कार्यक्रम के कियान्वय हेतु प्रशासनिक लागतों का समावेश होना चाहिए।

14.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर)/टैरिफ अथवा अन्य किसी प्रणाली के माध्यम से संवृद्धि लागतों की वसूली हेतु पद्धति प्रस्तावित कर सकेगा। सामान्यतः आयोग द्वारा प्रतिवर्ष मांग पक्ष प्रबंधन आय–व्यय के रूप में ए.आर.आर. का 0.5 प्रतिशत अनुमत किया जा सकेगा, जिसे आयोग द्वारा ऊपर अथवा नीचे की ओर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। परंतु यह कि इसके लेखांकन पृथकतः किया जाएगा।

14.3 लागत वसूली हेतु अर्ह होने के लिए, प्रत्येक कार्यक्रम में निम्नानुसार अनिवार्यताएं हैं :–

(i) कियान्वयन से पहले आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो;

(ii) अनुमोदित कार्यक्रम योजना के अनुसार कियान्वयन हो;

(iii) मितव्ययतापूर्ण कियान्वयन हो।

14.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा कियान्वित मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम के मूल्यांकनपरिमापन और सत्यापन के लिए आयोग अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट तृतीय पक्ष को समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा।

14.5 आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों को भी हाथ में लेने के लिए कह सकेगा जो यद्यपि आर्थिक लागत की दृष्टि से लागत प्रभावी न हों तथापि सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों की दृष्टि से समाज हेतु अत्यंत लाभकारी हों। आयोग ऐसी परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा।

15. मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम की निगरानी और प्रतिवेदन– वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक योजना बनाएगा और आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निगरानी और प्रतिवेदन संबंधी दिशा–निर्देशों अथवा आयोग द्वारा मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम को अनुमोदित करते समय यथा अनुमोदित रूप से मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों की निगरानी और प्रतिवेदन का कार्य करेगा।

16. मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम का मूल्यांकन, परिमापन और सत्यापन –

16.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा समय–समय पर जारी मूल्यांकन, परिमापन और सत्यापन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुरूप मांग पक्ष प्रबंधन हेतु मूल्यांकन, परिमापन और मांग पक्ष प्रबंधन से होने वाली बचत के सत्यापन हेतु योजना तैयार करेगा।

16.2 मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन, परिमापन और सत्यापन का कार्य स्वयं आयोग द्वारा अथवा आयोग से निर्दिष्ट तृतीय पक्ष के माध्यम से कराया जा सकेगा। किसी एजेन्सी को लगाते समय आयोग यह सुनिश्चित करेगा की वैसी एजेन्सी किसी अन्य ऐसे कार्य में तो नहीं लगी हुई है जिसका राज्य के उपभोक्ताओं के हितों से टकराव हो सकता हों।

16.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट तृतीय पक्ष को मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों से होने वाली बचत के परिमापन और सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी/डाटा उपलब्ध कराएगा।

17. मांग पक्ष प्रबंधन योजना और कार्यक्रम पूर्णता प्रतिवेदन –

17.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक छः माह में मांग पक्ष प्रबंधन योजना की प्रगति और मांग पक्ष प्रबंधन के कियान्वयन और हुए व्यय के सावधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

17.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यक्रम का विस्तृत पूर्णता प्रतिवेदन तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा और ऐसा प्रतिवेदन, ऐसे कार्यक्रम के पूरा होने के एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

17.3 पूर्णता प्रतिवेदन में योजना/कार्यक्रम व्ययों, उपलब्धियों, परिणामों और निष्पत्तियों, बाधाओं और कठिनाईयों, परिणामों, सिफारिशों, सीखे गए सबक और आगे की बातों का समावेश होगा।

18. प्रोत्साहन –

18.1 आयोग द्वारा विनियम 3 के अधीन यथा चिन्हित मांग पक्ष प्रबंधन उद्देश्यों को प्राप्त करने अथवा उनसे आगे निकल जाने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा सकता है।

19. मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम के मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु मानदण्ड –

19.1 मांग पक्ष प्रबंधन योजना में सम्मिलित प्रत्येक मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम अभिलेख तैयार किया जाएगा।

19.2 कार्यक्रम अभिलेख में वितरण अनुज्ञप्तिधारी और मांग पक्ष प्रबंधन संभावित कार्यक्रम में निवेश करने वाले भागीदार उपभोक्ताओं की दृष्टि से मांग पक्ष प्रबंधन के प्रत्येक कर्यक्रम की लागत प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

19.3 **''लागत प्रभावशीलता सूचकांक''** का उपयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी की दृष्टि से मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम की जीवन क्षमता के मूल्यांकन हेतु किया जाएगा। लागत प्रभावशीलता मूल्यांकन लाभ/लागत/अनुपात की वित्तीय मूल्यांकन तकनीक पर आधारित होगा, जो मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम के लाभों के कुल प्रचलित मूल्य को मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम से जुड़ी लागतों के प्रचलित मूल्य से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। लागत प्रभावशीलता सूचकांक यदि एक से अधिक है तो इसका अर्थ है कि किसी निवेश की सम्पूर्ण लागत परिलाभों के माध्यम से वसूल हो जाएगी।

19.4 **''बचायी गई ऊर्जा की लागत''** का उपयोग मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम की लागत प्रभावशीलता का मूल्यांकन, कार्यक्रम में निवेश करने वाले भागीदार उपभोक्ताओं की दृष्टि से किया जाएगा। बचायी गई ऊर्जा की लागत दक्ष विकल्प में निवेश की वार्षिक वृद्धिगत लागत को दक्ष विकल्प अपनाने के कारण बचायी गई वार्षिक ऊर्जा से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। यदि लक्षित उपभोक्ता वर्ग का औसत टैरिफ बचायी गई ऊर्जा की लागत से अधिक है तो भागीदार उपभोक्ता, जो इस कार्यक्रम में निवेश भी कर रहे है, की दृष्टि से मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम जीवनक्षम (व्यवहार्य) है।

19.5 आयोग मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम के मूल्यांकन मानदण्ड को परिभाषित करते हुए विस्तृत लागत प्रभावशीलता मूल्यांकन दिशा–निर्देश जारी करेगा।

—————

अध्याय–6
प्रकीर्ण

20. **संशोधन की शक्ति :**

आयोग, विहित नियामक प्रक्रिया अपनाकर इन विनियमों के किसी प्रावधान को किसी भी समय जोड़, बदल, फेर–फार, रूपांतरण अथवा संशोधन कर सकेगा।

21. **कठिनाइयों का निवारण :**

यदि इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग, सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश से, ऐसे प्रावधान बना सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिन्हें कठिनाई के निवारण के लिए आवश्यक समझा जाए।

22. **निर्देश देने की शक्तियां :**

आयोग, इन विनियमों के क्रियान्वय और अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में, समय–समय पर आदेश और निर्देश जारी कर सकेगा।

23. **शिथिल करने की शक्तियां :**

आयोग, इन विनियमों के क्रियान्वय और अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, समय–समय पर वैसे आदेश और निर्देश जारी कर सकेगा, जैसे समुचित समझे जाएं।

24. **विवादों का निपटारा :**

इन विनियमों के अधीन समस्त विवाद आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004, समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने के आधार पर, निर्णीत किए जाएंगे।

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./–
(पी. एन. सिंह)
सचिव.

Raipur, the 1st September 2016

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2016

No. 66/CSERC/2016. — The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, in exercise of powers conferred on it by Section 61, Section 86 and 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, proposes to frame the following regulations:-

Chapter – 1
General

1. **Short title, commencement, extent of application and definitions –**

1.1. These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2016.

1.2. These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Chhattisgarh Gazette (extraordinary).

1.3. These Regulations shall extend to and applicable to the all the distribution licensees in their respective areas of supply in the Chhattisgarh State.

2. **Definitions**. -

2.1. in these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) **"Baseline data"** means the initial base level consumption and/or demand for Electricity before a DSM programme begins to provide a reference point for Comparison for assessing programme impact;

(c) **"Bureau"** means the Bureau of Energy Efficiency established under subsection (1) of Section 2 of The Energy Conservation Act, 2001;

(d) **"Commission"** means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;

(e) **"Cost Effectiveness Index"** shall have the same meaning as defined in Regulation 19.3 of these Regulations;

(f) **"Demand Side Management or DSM"** means the actions of a Distribution Licensee, beyond the consumer's meter, with the objective of improving the end-use efficiency of electricity - whether it is to increase demand, decrease it, shift it between high and low peak periods, or manage it when there are intermittent load demands in the overall interests of reducing Distribution Licensee costs;

(g) **"DSM Cell"** means a cell set up by the Distribution Licensee to facilitate the Distribution Licensee to develop and design DSM programmes for submission to the Commission as provided under regulations 7 of these Regulations;

(h) **"DSM Measure"** means individual energy efficiency and / or energy conservation installed in the residence or facility of the consumer;

(i) **"DSM Resource Acquisition"** means a mechanism to implement DSM programmes through customers, Energy Service Companies, Non-Government Organizations, manufacturers/ suppliers, or other private sector organizations, with payment made to them by the Distribution Licensee normally out of the actual / expected savings from the resultant energy and load reductions except the programmes under 14 (5) of these Regulations for which the resources may be provided through the ARR or other sources;

(j) **"Energy Services Company or ESCO"** means a company which is in the business of providing energy efficient and load management equipment, processes and/or services to end use customers and is approved by Bureau;

(k) **"Gross Saving"** means the changes in energy consumption or demand resulting from consumers participation in the DSM project;

(l) **"Evaluation, Measurement and Verification"** means activities undertaken to evaluate, monitor, measure and verify the progress, performance or other aspects of DSM/energy efficiency programmes or their market environment;

(m) **"Monitoring and Reporting"** means activities undertaken to monitor and evaluate the progress of DSM/energy efficiency programmes of the Distribution Licensee.

All other expressions used herein and not specifically defined in these Regulations but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

———

Chapter-2
DSM Objectives, Potential Assessment, Targets & Guidelines

3. **DSM Objectives.** –

3.1 The DSM objectives, for advancement and implementation of cost effective DSM initiatives in the State are sought to be achieved through , but not limited, to the following:-

(a) To make DSM an integral part of the day to day operations of the Distribution Licensee with the objective of improving end use efficiency of electricity, environmental conservation and cost reduction.

(b) To promote and implement Load Shifting, Power Shortage Mitigation, seasonal peak reduction, cost effective energy savings, lowering the cost of electricity, reduction in emissions of greenhouse gases and pricing initiative i.e. Time of Use / Seasonal etc.

(c) To complement supply side strategies in order to avoid, reduce or postpone investments in generation, transmission and distribution infrastructure.

(d) To reduce transmission and distribution losses through implementation of end use energy efficiency programmes in areas reporting high AT&C losses.

3.2 While formulating the DSM objectives, the Commission shall take into consideration the National DSM objectives/ Plans formulated by BEE, State Action Plan on Climate Change, if any.

3.3 The DSM objectives shall be consistent, as far feasible, with the DSM objectives set out by Bureau as a part of Energy Conservation Plan for the country.

3.4 The Commission shall ensure that the DSM targets, programmes / plans approved under these regulations are consistent with the State Government policies framed under the Energy Conservation Act, 2001 from time to time.

4. **Assessment of technical potential for DSM.** –

4.1. The distribution licensee in Chhattisgarh State shall carry out assessment of potential for DSM in the State within twelve months of the notification of these Regulations.

4.2. Distribution licensee shall be guided by the methodology developed by Bureau while assessing of technical potential for DSM.

5. **DSM Targets.** –

5.1. The Commission may prescribe for each distribution licensee in Chhattisgarh State DSM targets including percentage reductions in peak load in different seasons, reduction in overall load and reduction in energy consumption and improvement in power factor for every MYT Control Period.

5.2. While setting DSM targets for the distribution licensee, the Commission shall consider technical potential in the State as assessed by the Distribution Licensee(s)/State Govt./Bureau or its authorized agency in the State.

5.3. While setting DSM targets for the Distribution Licensee(s), the Commission shall give due consideration to factors such as consumer mix, load profile, load factor / demand factor etc.

6. **Guidelines on DSM process.** –

6.1 The Commission may issue guidelines from time to time to the distribution licensee in execution of the following activities:

(i) Load and market research;
(ii) Implementation of DSM programmes;
(iii) Cost Effectiveness Assessment of DSM programmes;
(iv) Monitoring and Reporting of DSM Plans and programmes;
(v) Eligibility criteria for DSM programmes;
(vi) Methodology for setting DSM targets and funding levels;
(vii) Database development framework.

6.2 Issuance of such guidelines shall not be a pre-requisite for preparation and submission of the DSM plan by the Distribution Licensee.

———

Chapter-3
DSM Cell

7. **Constitution of DSM Cell, its Roles & Responsibilities.**

7.1 Every distribution licensee shall constitute DSM Cell and submit the compliance report to the Commission within two month from the date of notification of these Regulations. The DSM cell shall be the nodal agency to assist the Distribution Licensee to drive the DSM implementation under these Regulations and will be responsible for communication with the Commission.

7.2 DSM Cell comprise the staff as under

a. One officer not below the rank of Superintending Engineer

b. Two Officers not below the rank of Executive Engineer

c. Three Officers not below the rank of Assistant Engineer

d. Five officers not below the rank of Junior Engineer.

e. Five Nos. of clerical staff

7.3 DSM cell will have reporting to the Managing Director/head of the distribution licensee.

7.4 The DSM Cell so constituted shall be provided with necessary authority by the distribution licensee so as to enable it to execute the functions assigned to it under these regulations.

7.5 The officers / officials posted in the DSM Cell shall not be assigned any other duties by the Licensee to ensure their dedication to DSM. They shall have a minimum tenure of three years. Any change before the officer / official completes three years shall require prior approval of the Commission.

7.6 The DSM Cell shall be responsible for:-

(a) Load research, market research and development of baseline data, to seek information on end use technologies, usage pattern, willingness to bear the consumer's share of cost, sensitivity analysis relating to the response of benefits to incremental costs;

(b) Formulation of DSM Plan;

(c) Design and development of DSM projects including cost benefit analysis, plans for implementation, monitoring & reporting and for measurement & verification;

(d) Development of database and centralized information systems of new DSM technologies, innovations and new energy savings products being introduced in the market and updating the same at regular interval;

(e) Seeking necessary approvals to DSM plan and individual programmes from the Commission;

(f) Monitor and facilitate Implementation of DSM programmes;

(g) Development of training and capacity building programmes and sharing of experience with respect to the entire DSM implementation within the Distribution Licensee;

(i) Any other additional function as directed by the Commission from time to time;

———

Chapter-4
DSM Process

8. **Load and Market Research Design and development of baseline data.—**

8.1 Distribution licensee shall undertake load research to identify the target consumer segment(s) and end uses for DSM programme to build the necessary baseline data.

8.2 Distribution licensee shall undertake market research to estimate market potential for specific energy efficiency technologies and applications, establish key performance indicators, and determine existing baseline market conditions.

8.3 On the basis of the results of load and market research, the distribution licensee shall develop baseline data for its area of supply.

8.4 Distribution licensee shall design, develop and implement the initial few DSM programme on the basis of available data and studies completed by BEE till the complete baseline data is available for its area of supply. Establishment of base line data shall not be a pre-requisite for design of such initial DSM programme by the distribution licensee.

———

Chapter-5
DSM Plan and Programmes

9. **Formulation of DSM Plan. –**

9.1 Distribution licensee shall formulate and submit to the Commission a perspective DSM Plan covering period of the MYT control period, within one year of notification of these regulations.

The Plan shall include:-

(i) An overall goal for DSM Plan;

(ii) Description of DSM programmes to form a part of DSM Plan;

(iii) Implementation process and schedule of each programme in the plan as a whole;

(iv) Plan for Monitoring and Reporting;

(v) Indicative cost effectiveness assessment of programmes.

Notwithstanding the above, the first DSM Plan shall be prepared within one year of the date of these Regulations and shall be for the period till the end of ongoing MYT Control Period.

9.2 The distribution licensee shall include all relevant DSM programmes (including multi-state programmes) developed by Bureau in its perspective plan as and when such programmes are announced by Bureau.

9.3 The Distribution Licensee shall submit on rolling basis, an annual plan, not inconsistent with the perspective plan, for upcoming year, along with the Annual Tariff Petitions.

9.4 Selection and prioritization of various DSM programmes in the DSM Plan shall be guided by the following factors:-

(i) The Cost effectiveness after discussion with the Commission;

(ii) DSM Objectives identified in regulation 3.1 above;

(iii) Whether the proposed programmes supplement National level efforts adopted by the Bureau;

(iv) High visibility of programmes and therefore potential for creation of awareness within consumers.

9.5 Distribution licensee may engage consultants for design, development and execution of DSM Plan and DSM programmes. Services of such consultants may be taken from the Government of India approved consultancy firms engaged in providing energy efficiency services.

10. **Review and Approval of DSM plan by the Commission.–**

10.1 Distribution Licensee shall submit the DSM Plan to the Commission for approval within 6 months of technical potential available for the first time, and afterwards alongwith the filing of MYT Petition.

10.2 The Distribution Licensee shall submit the DSM Plan both in hardcopy and softcopy.

10.3 The Commission shall scrutinize the DSM Plan submitted by the Distribution Licensee. Any specific observations and suggested revisions shall be conveyed to the Distribution Licensee. Distribution Licensee after addressing all the comments shall re-submit the revised DSM Plan to the Commission within stipulated timeframe. The Commission shall evaluate revised DSM Plan submitted by the Distribution Licensee and convey the same to the Distribution Licensee with such modifications as may be considered necessary.

10.4 The Commission may seek clarifications from the Distribution Licensee and accord approval to the DSM Plan after taking into consideration clarifications / additional information provided by the distribution licensee.

10.5 The Commission may adopt procedures as specified in the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2004 as amended from time to time for according approval to the DSM Plan.

11. Preparation of DSM Programme Document. –

11.1 For each DSM programme included in the DSM Plan, a detailed description shall be provided in a separate programme document. The description shall include general information including objectives and rational, technology, schedule for deployment, budget, cost effectiveness assessment, detailed implementation plan including consumers segment and estimated level of participation as well as implementation mechanism i.e. Energy Service Companies, DSM Bidding, DSM Resource Acquisition, estimation of baseline and savings, mechanism for recovery of cost and performance incentive, monitoring and evaluation plan.

11.2 For each DSM programme cost benefit analysis shall be carried out as per guidelines issued by the Commission on cost effectiveness from time to time.

12. Approval of DSM Programme Document. –

12.1 Prior to implementing any DSM programme, distribution licensee shall obtain approval of the Commission.

12.2 Each programme document shall include the following:-

(i) Description of the programme;

(ii) Objectives and rationale for the programme;

(iii) Consumer segments and estimated level of participation;

(v) Estimate of baseline;

(vi) Assessment of programme in line with Cost Effectiveness Guidelines issued by the Commission;

(vii) Mechanism for recovery of cost and performance incentives;

(viii) Marketing, delivery strategy and Implementation schedule;

(ix) Implementation mechanism e.g. Energy Service Companies, DSM Bidding, DSM Resource Acquisition, etc;

(x) Monitoring and evaluation plan;

(xi) Plan for Training/Seminars/Workshops to increase consumer awareness.

12.3 The Commission shall approve a DSM programme if it is in line with the objectives set out under Regulations 3 of these Regulations. The Commission may direct modifications to proposed or on-going programme to ensure consistency with the DSM Objectives. However, the Commission shall allow distribution licensee adequate time to notify consumers of programme modification.

13. Implementation of DSM programme. –

13.1 Distribution licensee shall undertake implementation of DSM programme in line with the guidelines issued by the Commission from time to time.

13.2 The implementation of the programme shall be undertaken in the manner as approved by the Commission.

13.3 Distribution licensee shall undertake implementation of quick gain DSM programmes also.

13.4 Distribution licensee shall carry out implementation of activities assigned to it either by itself or through engagement of appropriate independent entity. While doing so, the distribution licensee shall ensure that continuity and consistency is maintained and interest of the consumers is not compromised.

14. Mechanism for Cost Recovery / Funding. –

14.1 Distribution licensee shall identify the net incremental costs, if any, associated with planning, design and implementation of programmes. Such costs should include the rebates / incentives that may be offered to the consumers as well as administration costs for implementing the programme.

14.2 Distribution licensee may propose methodology for recovery of incremental costs through ARR /tariff or any other mechanism. Normally 0.5% of the ARR may be allowed by the Commission as DSM

budget every year, which may be reviewed by the Commission upward or downward. Provided that the accounting of the same shall be done separately.

14.3 In order to qualify for cost recovery, each programme must be:-

(i) Got approved from the Commission prior to implementation;

(ii) Implemented in accordance with the approved programme plan and

(iii) Implemented cost effectively.

14.4 Distribution licensee shall provide all necessary assistance to the Commission, or third party assigned by the Commission in undertaking Evaluation Measurement and Verification of DSM programme implemented by it.

14.5 The Commission may direct the Distribution licensee to undertake such DSM programmes also that may not be cost effective in terms of economic cost and benefit but are highly beneficial to the society in terms of social and environmental benefits. The Commission will make available resources for such project.

15. **Monitoring and reporting of DSM programme**: - Distribution licensee shall prepare plan and undertake monitoring and reporting of DSM programmes as per Guidelines on Monitoring and reporting issued by the Commission from time to time or as approved by the Commission while approving the DSM programme.

16. Evaluation, Measurement and Verification of DSM Programme:-

16.1 Distribution licensee shall prepare plan for evaluation, measurement and verification of savings from DSM programmes as per Guidelines on Evaluation, Measurement and Verification issued by the Commission from time to time.

16.2 Third party Evaluation Measurement and Verification of DSM programmes may be undertaken by the Commission or through third party assigned by Commission. While engaging the agency, the Commission shall ensure that the Agency is not undertaking any other engagement which could conflict with the interests of the consumers in the State.

16.3 Distribution Licensee shall make available necessary information / data to the Commission or third party assigned by the Commission to measure and verify the savings from DSM programmes.

17. DSM Plan and Programme Completion Report:

17.1 Periodical reports on progress of DSM plan and expenses incurred on implementation of DSM plan shall be submitted by the distribution licensee every six months.

17.2 The distribution licensee shall prepare and submit a detailed programme completion report and submit the same to the Commission within one month of completion of such programme.

17.3 The Completion report shall cover the plan / programme expenses, achievements, outcomes and outputs, constraints and difficulties faced conclusions, recommendations, lessons learned and way forward.

18. **Incentive:**

18.1 The Commission may provide incentives to distribution licensee for achieving or exceeding DSM objectives as identified under regulation 3.

19. **Criteria for Assessment & Approval of DSM programme:**

19.1 For each DSM programme included in the DSM Plan, Distribution Licensee shall prepare a detailed programme Document.

19.2 Programme Document shall also include Cost Effectiveness Assessment of each DSM programme from Distribution Licensee perspective and participating Consumers investing in the DSM programme perspective.

19.3 "Cost Effectiveness Index (CEI)" shall be used to assess the viability of the DSM programme from the perspective of Distribution Licensee. CEI shall be based on financial evaluation technique 'Benefit/Cost ratio' (B/C ratio), which is sum of the present value of the benefits of DSM programme

divided by the sum of the present value of the costs associated with the DSM programme. The CEI greater than one means that the full cost of an investment will be recovered through the benefits.

19.4 "Cost of Conserved Energy (CCE)"shall be used to assess the cost effectiveness of DSM programme from the point of view of the Participating Consumers investing in the programme. CCE shall be the annualized incremental cost of investment in efficient option divided by annual energy saved due to adoption of efficient option. If Average Tariff of the target consumer category is greater than CCE, DSM programme is viable from the point of the participating consumers who are also investing in the programme. Average Tariff shall be the average cost of supply of the target consumer category in the year of implementation of the DSM programme.

19.5 The Commission shall issue detailed Cost Effectiveness Assessment Guidelines defining the criteria for assessment of DSM programme.

———

Chapter-6
Miscellaneous

20. **Power to amend:** The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations after following due regulatory process.

21. **Removal of difficulties:** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

22. **Powers to give directions:** The Commission may, from time to time, issue orders and directions in regard to the implementation of the regulations and procedures to be followed.

23. **Powers to relax:** The Commission may, from time to time, issue orders and directions as considered appropriate to ensure implementation of the regulations and procedures to be followed.

24. **Dispute resolution:** All disputes arising under these regulations shall be decided by the Commission based on an application made by the person aggrieved in accordance with the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2004 as amended from time to time.

By order of the Commission,

Sd/-

(P.N. SINGH)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.